भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या **242**

दिनांक 24.07.2024 को उत्तर के लिए

युवा संसद

242. डॉ. जयंत कुमार राय:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

डॉ. राजीव भारद्वाज:

श्री लुम्बा राम:

श्री विद्युत बरन महतो:

श्री मितेश पटेल (बकाभाई):

श्री विजय बघेल:

श्री खगेन मुर्मु:

डॉ. आलोक कुमार सुमन:

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

श्री जगदम्बिका पाल:

डॉ. संजय जायसवाल:

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के समन्वय से नियमित युवा संसद का आयोजन करती है**;**

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;**

(ग) सरकार द्वारा विद्यालय स्तर पर युवा संसदों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(ङ) उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत राज्यों को दिए गए निधियन का ब्यौरा क्या है**?**

<u>उत्तर</u>

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): हाँ महोदय।

(ख) और (ग): केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय पूरे देश में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संबंधित हितधारक संगठनों के समन्वय से निम्नलिखित युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है:-

i. शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और शिक्षा विभाग, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता;

ii. केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता;

iii. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता; और

iv. विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता।

इसके अलावा, संसदीय कार्य मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतियोगिताओं की समाप्ति पर दावा प्राप्त होने के अधीन रहते हुए निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है:-

क्र.सं.	विधानमंडल की सदस्य संख्या	प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि
1.	विधानमंडल जिनकी सदस्य संख्या **100** तक है	रू.3 लाख प्रति विधानमंडल प्रतिवर्ष
2.	विधानमंडल जिनकी सदस्य संख्या **100** से **200** के बीच है	रू.4 लाख प्रति विधानमंडल प्रतिवर्ष
3.	विधानमंडल जिनकी सदस्य संख्या **200** से अधिक है	रू.5 लाख प्रति विधानमंडल प्रतिवर्ष
4.	संघ राज्य क्षेत्र, जहां कोई विधानमंडल नहीं है	रू.2 लाख प्रति संघ राज्य क्षेत्र प्रतिवर्ष

उपरोक्त के अलावा, इस मंत्रालय की राष्ट्रीय युवा संसद योजना (एनवाईपीएस) का एक वेब–पोर्टल भी है, जिसके माध्यम से देश के सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी युवा संसद का संचालन कर सकते हैं।

(घ) और (ङ): विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	राज्य विधानमंडल	नेवा के कार्यान्वयन के लिए आज तक राज्यों को जारी की गई कुल धनराशि (रूपये में)	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	बिहार विधान परिषद	**2,95,72,758**	इन राज्यों ने स्वयं को डिजिटल सदनों में परिवर्तित कर लिया है और नेवा प्लेटफार्म के माध्यम से अपने लाइव सत्रों का संचालन कर रहे हैं।
2.	नागालैंड विधान सभा	**6,78,45,384**	
3.	उत्तर प्रदेश विधान सभा	**8,55,03,024**	

4.	हरियाणा विधान सभा	**4,09,69,628**	
5.	मेघालय विधान सभा	**7,50,83,688**	
6.	मिजोरम विधान सभा	**6,27,01,020**	
7.	उत्तर प्रदेश विधान परिषद	**3,20,95,008**	
8.	तमिलनाडु विधान सभा	**5,59,98,270**	
9.	सिक्किम विधान सभा	**6,10,72,884**	
10.	त्रिपुरा विधान सभा	**6,44,63,724**	
11.	गुजरात विधान सभा	**6,45,75,960**	

<table>
<tr><td>12.</td><td>पंजाब विधान सभा</td><td>5,89,82,915</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>मणिपुर विधान सभा</td><td>6,89,69,556</td></tr>
<tr><td>14.</td><td>ओडिशा विधान सभा</td><td>3,08,89,224</td><td rowspan="7">इन राज्यों के लिए नेवा परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है। अपेक्षित निधियां जारी की जा चुकी हैं।</td></tr>
<tr><td>15.</td><td>बिहार विधान सभा</td><td>1,91,64,012</td></tr>
<tr><td>16.</td><td>झारखंड विधान सभा</td><td>96,29,790</td></tr>
<tr><td>17.</td><td>पुदुचेरी विधान सभा</td><td>1,70,11,650</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>हिमाचल प्रदेश विधान सभा</td><td>4,39,15,163</td></tr>
<tr><td>19.</td><td>उत्तराखंड विधान सभा</td><td>2,50,99,812</td></tr>
<tr><td>20.</td><td>असम विधान सभा</td><td>2,68,42,644</td></tr>
</table>

21.	राजस्थान विधान सभा	**1,51,39,230**	
22.	जम्मू और कश्मीर विधान सभा	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।	
23.	मध्य प्रदेश विधान सभा		
24.	अरूणाचल प्रदेश विधान सभा	संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।	
25.	छत्तीसगढ़ विधान सभा	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।	

शेष राज्यों ने अभी तक नेवा के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

*****